भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 2233**

दिनांक 12 मई, 2016 को उत्‍तर के लिए

**महाराष्ट्र में आंगनवाड़ी केन्द्रों हेतु स्थायी भवन**

**2233. श्री अमर शंकर साबलेः**

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र के अनेक आंगनवाड़ी केन्द्रों के पास अपने स्थायी भवन नहीं हैं यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिए स्थायी भवनों के निर्माण हेतु धनराशि आवंटित करने के लिए कोई कार्य योजना तैयार की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**श्रीमती मेनका संजय गांधी महिला एवं बाल विकास मंत्री**

(क): महाराष्‍ट्र में 110486 आंगनबाड़ी केन्‍द्र/लघु आंगनबाड़ी केन्‍द्र संस्‍वीकृत हैं जिनमें से 108010 आंगनबाड़ी केन्‍द्र/लघु आंगनबाड़ी केन्‍द्र क्रियाशील हैं1 महाराष्‍ट्र में इनमे से 53681 आंगनबाड़ी केन्‍द्र अपने स्‍वयं के भवनों से, 17655 आंगनबाड़ी केन्‍द्र दान में मिले भवनों से तथा शेष आंगनबाड़ी केन्‍द्र किराए के भवनों/ अन्‍य स्रोतों से चल रहे हैं।

(ख): जी हां ।

(ग): ग्रामीण विकास मंत्रालय तथा पंचायती राज संस्‍थाओं के अभिसरण में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने अगले चार वर्षों में चार लाख आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण की कार्य योजना बनायी है। आईसीडीएस स्‍कीम के अभिसरण में मनरेगा के तहत आंगनबाड़ी केन्‍दों के निर्माण के लिए दिशानिर्देश 17 फरवरी, 2016 को ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी किए गए हैं। इन दिशानिर्देशों के अनुसार अगले चार वर्षों के लिए इस अभिसरण के तहत कम से कम एक लाख आंगनबाड़ी केन्‍दों का निर्माण किया जाएगा, जिससे 2019 तक चार लाख आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण निम्‍नानुसार होगा :

i) पहले साल में, 200 अधिक प्रभावित जिले;

ii) दूसरे साल में, उत्‍तर पूर्वी तथा हिमालयन राज्‍यों एवं पहले साल में शामिल न किए गए राज्‍यों को शामिल करते हुए अन्‍य 200 जिले;

iii) तीसरे साल में शेष 50 प्रतिशत जिले; और

iv) चौथे साल में शेष जिले।

इन दिशानिर्देशों के अनुसार आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण के लिए मनरेगा के तहत 5 लाख रूपये की राशि उपलब्‍ध करायी जाएगी1 इसके अलावा निर्धारित लागत हिस्‍सेदारी अनुपात में राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों को आईसीडीएस स्‍कीम के तहत दो लाख रूपये की राशि जारी की जाएगी। प्रति आंगनबाड़ी भवन सात लाख रूपये से अधिक किसी व्‍यय को राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों द्वारा वहन किया जाएगा। 14वें वित्‍त आयोग के तहत उपलब्‍ध करायी गयी निधियों का उपयोग करके आंगनबाड़ी भवनों में पेयजल तथा स्‍वच्‍छता की सुविधायें उपलब्‍ध करायी जाएंगी।

2015-16 के दौरान मनरेगा के साथ अभिसरण में 28941 आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण के लिए भारत सरकार द्वारा राज्‍यों को निधियां जारी की गई हैं जिसमें महाराष्‍ट्र में 4908 आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण शामिल है।

2016-17 के दौरान मनरेगा के साथ अभिसरण में महाराष्‍ट्र में 2000 आंगनबाड़ी भवनों सहित 90048 आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है। इसके अलावा प्रति आंगनबाड़ी भवन 4.5 लाख रूपये की दर से 2362 आंगनबाड़ी भवन आईसीडीएस (सामान्‍य) के तहत अनुमोदित किए गए है।

\*\*\*\*\*